


अचल अधिकारी का कार्यालय, धनबाद।


संदिग्ध/अवैध जमाबंदी रद्द अभिलेख सं० २४/२००-२/

बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जाँच एवं कार्रवाई से संबंधित।

दिनांक	आदेश फलक	अभियुक्ति
29/3/19	<p>झारखण्ड सरकार के आदेश-2074/रा० दिनांक-13.05.2016 सहसंश्लेषित-श्री अनुज मुखर्जी निर्देशक, भू-अर्जन-सह-विशेष सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या-3-खा० सं० नि०-119/85/2308/रा० दिनांक 03.09.1985 एवं सह-संश्लेषित राजस्व विभागीय परिपत्र संख्या-914/रा० दिनांक 09.12.1998 में निहित निर्देश के अनुपालन में गैरमजबूत खास भूमि की कायम की गयी जमाबंदियों की जाँच प्रारंभ की गयी। तब से अब मैं इलका राजस्व उपनिरीक्षक (राजस्व कर्मचारी) के द्वारा प्रतिवेदित किया गया विवरणी निम्नवत है-</p> <p>मौजा <u>कोलाकुसा</u> मौजा नं० <u>12</u> खाता नं० <u>142</u> प्लॉट नं० <u>1310</u> रकबा <u>12 1/2 बी०</u> की भूमि जो गैरमजबूत खास, अनाबाद बिहार(झारखण्ड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी-11 के जिल्द संख्या <u>20</u> के पृष्ठ संख्या <u>3752</u> पर जमाबंदी रैयत <u>श्रीमती अचा जैन, दी० पिता- मुरली चर फोडदार</u> के नाम से कायम है।</p> <p>इलका राजस्व उपनिरीक्षक(राजस्व कर्मचारी) के द्वारा जांचोपरांत उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरुद्ध कायम जमाबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है। जांच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी किना सख्त प्राधिकार के आदेश के/अवैध बंदोबस्ती के आधार पर/अवैध कोटकर बंदोबस्ती के आधार पर/ अवैध लगान निर्धारण के आधार पर/सादा हुकुमनामा के आधार पर कायम की गयी है जिसका उद्देश्य निजि लाभ एवं लाभ की शक्ति कारित करना है।</p> <p>प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जांच किया जाना वाछनीय प्रतीत होता है।</p> <p>अतः- उपरोक्त जांच प्रतिवेदन पर अचल-निरिक्षक का मतव्य प्राप्त करे। अभिलेख दिनांक <u>9/4/19</u> को रखे।</p>	
	 अचल अधिकारी धनबाद।	


21/4/19

अभिलेख उपस्थापित। अचल निरीक्षक से मातृ / प्रतिवेदन अभाव है।
अभिलेख दिनांक 20/4/19 को रखे।


20.4.19
अचल अधिकारी
धनबाद।


21/4/19

अभिलेख उपस्थापित। अधोहस्ताक्षरी निर्वाचन कार्य में व्यस्त रहने के कारण अभिलेख की सुनवाई नहीं हो सका।
अभिलेख दिनांक 21/4/19 को रखे।


21.4.19
अचल अधिकारी
धनबाद।

15/6/20

अभिलेख उपस्थापित। अचल निरीक्षक का प्रतिवेदन मातृ सहित प्राप्त।
प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में विपक्षी को नोटिस निर्गत करे। अभिलेख दिनांक
23/6/20 को रखे।


15.6.20
अचल अधिकारी
धनबाद।

23/6/20


अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख के अवलोकनोपरान्त पाया कि मौजा
ओलाकुसुमा मौजा नं० 12 खाता 142 प्लॉट
नं० 1310 रकबा 12 1/2 डीए भूमि से संबंधित है। आवेदित
भूमि गत सर्वे खतियान के अनुसार गैरआवाद खाते की भूमि है। जमाबंदी रजिस्ट्रार
के खोज बीन के उपरान्त पता नहीं चल सका, जिसके कारण बिना नोटिस का
तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है (सुलभ प्रसंग हेतु नोटिस की प्रति संलग्न)। आवेदित
भूमि दाखिल खारिज केस नं० _____ (____) _____ के अनुसार कागम है।
तत्कालीन अचल अधिकारी, धनबाद द्वारा उक्त पंजी को संदेहास्पद माना गया
है। जिसे संबंधित उप निरीक्षक एवं अचल निरीक्षक ने उक्त जमाबंदी को रद्द
हेतु प्रस्ताव प्रतिवेदन अनुशंसा सहित समर्पित किया

अतः जॉब प्रतिवेदन के आलोक में जमाबंदी रद्द हेतु अभिलेख भूमि
सुधार उपसमाहर्ता धनबाद को भेजे।

लेखापित एवं संशोधित।



अचल अधिकारी,
धनबाद।


20.6.20
अचल अधिकारी,
धनबाद।

संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी संबंधी जाँच प्रतिवेदन

4179

1. संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी रैयत का नाम : ① श्रीमती जमा जैन
फरिदक 0 पिगल कुमार जैन
② श्री कमल नाथ चौधरी
पिता. सुरली चर चौधरी
 2. जमाबंदी से संबंधित भूमि का विवरण :- साठ - ब्रह्मत्री नगर - चणक
- | मौजा | थाना सं० | खाता सं० | प्लॉट सं० | रकबा |
|-----------|----------|----------|-----------|------------|
| कौलाकुसभा | 12 | 142 | 1310 | 12 1/8 570 |
3. जमाबंदी पंजी - II के जिल्द संख्या ... 20 पृष्ठ सं० ... 3952 पर कायम है-
 4. जमाबंदी किस वर्ष से कायम है - 08-09
 5. खतियान के अनुसार उपरोक्त भूमि के खातेदार का नाम :- गैर आबाद
 6. किस सक्षम प्रधिकार / पदाधिकारी के आदेश से जमाबंदी कायम की गई है :- लगान धार्य / बन्दो वस्ती / दा० खा० मु० सं०.....
1707(1)08-09 व. प्रम. थि० सं० 170

7. यदि संदेहास्पद जमाबंदी नामान्तरण द्वारा स्थापित है तो मूल जमाबंदी रैयत का नाम :- ज. नात्री
8. मूल जमाबंदी कायम किए जाने का आधार (अनिबंधित सादा हुकुमनामा / लगान निर्धारण / अवैध भूबंदोबस्ती -
9. संदेहास्पद जमाबंदी की जाँच किस राजस्व अभिलेख से की गई (भूतपूर्व जमींदार द्वारा दाखिल रिटर्न / बन्दोबस्ती पंजी / लगान निर्धारण पंजी / भू - हस्तांतरण पंजी

10. संदेहास्पद जमाबंदी में अंकित लगान रसीद संख्या एवं वर्ष -

क्र० संख्या	लगान रसीद संख्या	रसीद निर्गत तिथि	वसूली वर्ष
1	368959	12.9.08	08-09